SHAHEED DURGA MALL GOVERNMENT PG COLLEGE DOIWALA, DEHRADUN

(Affilated to Shri Dev Suman Uttarakhand University Badshahithaul New Tehri)

PROSPECTUS
(2025-2026)

NAAC Accredited

DOIWALA, DEHRADUN
UTTARAKHAND - 248140

प्राचार्य का संदेश

प्रिय प्रवेशार्थी छात्र–छात्राओं!

नूतनसत्र 2025–26 में शहीद दुर्गामल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून में नयी कक्षाओं में प्रवेश लेने पर मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करता हुँ।

विद्यालयी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उच्चशिक्षा के नये चरण में न केवल आप उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे बल्कि आत्म विकास, चरित्र निर्माण, कौशल विकास और सामाजिक उत्तरदायित्वों के मूल्यों को भी आत्मसात कर पायेगें।

हमारे महाविद्यालय में आप न केवल हमारे विद्वान प्राध्यापकों से कक्षा शिक्षण के माध्यम से अपने विषय का ज्ञान अर्जित कर पायेंगे, अपितु हमारे प्राध्यापक आपके लिए कैरियर काउंसलर, मेंटर और निर्देशक की भूमिका में हमेशा उपलब्ध रहेंगे।

महाविद्यालय का उद्देश्य अपने विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। इस हेतु आपको महाविद्यालय में उपलब्ध रा.से.यो.,एन.सी.सी, रोवर्स–रेंजर्स, रेड–क्रास के साथ–साथ कौशल विकास, कैरियर काउंसलर आदि की सुविधाओं का लाभ अर्जित करना चाहिए ताकि आप भविष्य की जिम्मेदारियों के लिए स्वंय को एक आदर्श नागरिक, कौशल–सम्पन्न, उच्च–बुद्धिमता युक्त एवं संवेदनशील युवा के रूप में तैयार कर सकें।

मुझे विश्वास है कि आप स्वयं के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे तथा अनुशासन को बनाये रखते हुए महाविद्यालय को गौरवान्वित करेंगे।

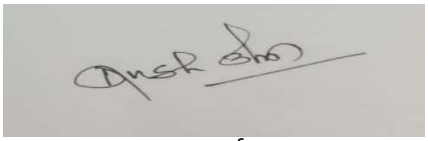

प्राचार्य
श.दु.म. राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
डोईवाला,देहरादून

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला, देहरादून।
महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय डोईवाला की स्थापना शासनादेश संख्या 2771/मा.स.वि./2001 दिनांक 10 अगस्त 2001 से स्नातक कला संकाय के आठ विषयों के साथ हुई। महाविद्यालय देहरादून से लगभग 20 किमी. की दूरी पर सौंग नदी (डोईवाला) के तट पर भानियावाला में स्थित है। स्नातक स्तर पर उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 3011/जी.एस. शिक्षा सम्बद्धता 2007 देहरादून, दिनांक 27 फरवरी, 2008 के पत्र द्वारा महाविद्यालय के स्नातक कला संकाय स्तर पर हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं मनोविज्ञान में स्थायी सम्बद्धता हेमवती नन्दन बहुगुणा श्रीनगर, गढ़वाल विश्वविद्यालय से दिनांक 01 जुलाई, 2008 में प्रदान की गयी।

महाविद्यालय में स्नातक विज्ञान (ZBC) व (PCM) एवं वाणिज्य संकाय में 2010 से कक्षाएं संचालित की जा रही है।

उत्तराखण्ड मान्यता/3362 दिनांक 22–03–12 हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर (केन्द्रीय विश्वविद्यालय) द्वारा स्नातकोत्तर कला, हिन्दी, अंग्रेजी, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान एवं भूगोल पाठ्यक्रम में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान की गई पत्रांक मान्यता/1593 दिनांक 10 सितम्बर 2014 के माध्यम से स्नातकोत्तर इतिहास एवं समाजशास्त्र में भी अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी। सत्र 2017–18 से श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. मनोविज्ञान में भी अस्थाई मान्यता प्रदान की गई।

पत्रांक संख्या मान्यता/5340 दिनांक 5 नवम्बर 2015 के माध्यम से स्नातक सैन्य विज्ञान विषय की अस्थाई मान्यता प्रदान की गयी। महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पत्रांक संख्या एफ–एन.08–3220/2010(CPP-I/C) दिनांक 5 मई, 2011 द्वारा यू. जी.सी. से सेक्शन 2 (एफ) 12 (बी) यू.जी.सी. एक्ट 1956 के अन्तर्गत आच्छादित है।

शासनादेश संख्या 2268(I) XXIV(7) 23(घो.)/2011 दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 द्वारा महाविद्यालय का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी शहीद दुर्गा मल्ल जी के नाम पर शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय महाविद्यालय, डोईवाला किया गया।

शासनादेश सं0 198/XXIV/2015&2(6) 68 दिनांक 08 मई, 2015 के अनुसार महाविद्यालय को स्नातकोत्तर कक्षाओं के संचालन की स्वीकृति प्राप्त हुई ।

शासनादेश सं0 02/XXIV(7)/2017 दिनांक 10 अगस्त, 2017 के अनुसार हे0न0ब0 गढ़वाल (केन्द्रीय) विश्वविद्यालय से सम्बद्वता परिवर्तन के कम में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय बादशाही थौल (टिहरी गढ़वाल) के पत्रांक SDSUV/Co/(228) दिनांक 09 जुलाई 2018 द्वारा महाविद्यालय को सम्बद्वता प्रदान की गई । महाविद्यालय में सत्र–2017–18 से मनोविज्ञान और सत्र 2018–19 से बी.ए. में चित्रकला, गृहविज्ञान एवं संस्कृत एवं स्नातकोत्तर में हिन्दी, अग्रेजी, अर्थशास्त्र,

राजनीति विज्ञान, भूगोल की कक्षाएं संचालित की जा रही है। महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अभिलेखानुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के पत्रांक संख्या F No 8-296/22021 (CPP-I/C) दिनांक 29 सितम्बर 2021 के अनुसार महाविद्यालय का नाम शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला, देहरादून किया गया।

महाविद्यालय अखिल भारतीय सर्वेक्षण उच्च शिक्षा (AISHE) के अन्तर्गत पंजीकृत संख्या C –24628 से डाटा प्रस्तुत करता है। महाविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा 20 फरवरी, 2023 को पांच वर्षो हेतु बी ग्रेड (CGPA-2.41/4) प्रदान किया गया।

प्रवेश एवं महाविद्यालय से सम्बन्धित अन्य समस्त सूचनाएं कालेज वेबसाइट www.sdmgovtpgcollege.in/ सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है। सभी प्रवेशार्थी/ विद्यार्थी सूचनाओं का अवलोकन करते रहें।

श्रीदेव सुमन वि.वि. से सम्बद्ध सभी पाठ्यक्रमों हेतु श्रीदेव सुमन वि.वि. के नियम लागू होंगे। वर्ष 2020–21 से प्रवेश ऑनलाइन किये जा रहे हैं। कॉलेज बेबसाइट पर प्रवेश सम्बन्धी सूचना के अनुसार आवेदन करें। प्रवेश हेतु अर्ह पाए जाने पर आवेदक को अपने समस्त मूल प्रमाण–पत्रों एवं ऑनलाइन आवेदन–पत्र की हार्ड कापी सहित सम्बन्धित समिति के समक्ष साक्षात्कार हेतु स्वयं उपस्थित होना होगा। यदि मुद्रण में कोई त्रुटि अथवा अनुच्छेद मुद्रित होने से रह गया हो तो इस क्रम में महाविद्यालय/संबंधित विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के सामान्य अनुच्छेद मान्य होंगे।

महाविद्यालय में प्रवेश उत्तराखण्ड सरकार द्वारा स्वीकृत एकीकृत पोर्टल समर्थ http://ukadmission.samarth.ac.in के माध्यम से ऑनलाइन किए जाएगे।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु जारी साधारण नियम

(शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से प्रभावी)

1.अध्याय-1 साधारण नियम-

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑनलाइन (Online) पद्धति से समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश सम्बन्धित संकायवार किये जायेंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश दिया जाएगा।
1.2. विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online समर्थ Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 महाविद्यालय में प्रवेश हेतु महाविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व महाविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। महाविद्यालय अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समस्त अर्हताओं तथा online प्रवेश आवेदन पत्र/ Format में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों तथा प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय/ सस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 समर्थ पोटल के माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय में अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्रों यथा अधिभार /आरक्षण विषयक प्रमाण–पत्रों आदि में से प्रत्येक स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वैबसाईट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय के द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो. उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका ही ऐसे छात्र को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस / प्रशासन द्वारा निरूद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित प्राचार्य प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार / निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा ।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को महाविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु महाविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया आएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 17 (ख) के अन्तर्गत धोखाधड़ी से प्रवेश लेना माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्य दिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में जमा न किया हो तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा. जो कि निम्नवत् है-

1- अनुसूचित जाति-19 प्रतिशत
2- अनुसूचित जनजाति-04 प्रतिशत
3- अन्य पिछड़ा वर्ग-14 प्रतिशत
4- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग-10 प्रतिशत (**निर्धारित सीटों के अतिरिक्त**)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा-

1) महिलाएँ-30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक-05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग-05 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित- 02 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग की होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रदेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी।

(i) Extension in date of admission upto 30 days
(ii) Relaxation in cut-off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement
(iii) Waiving of domicile requirements

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा-
(क) एन०सी०सी० बी. अथवा सी. प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी-25 अंक
(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)-20 अंक
(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/ पुत्री/पति/पत्नी / सगाभाई/बहन-20 अंक
(घ) जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्द्ध सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी / सगा भाई बहन तथा जम्मू-कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी / सगा भाई /बहन -20 अंक
ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर-50 अंक
(च) अन्तर-विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर-40 अंक
(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर-30 अंक
(ज) राज्य / अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर-25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर-25 अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता-25 अंक
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी/ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर-20 अंक
(3) अन्तर-महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर-15 अंक

नोट–उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंको का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14(क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय संकाय/महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन संस्थान द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात महाविद्यालय स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 श्रीदेव सुमन उतराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय में बिना स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी०सी०, सी०सी०) के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाणपत्र जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.16 (क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बंधित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष/प्राचार्य / निर्देशक द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष / प्राचार्य/निदेशक की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।
ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद-विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.17 अभ्यर्थी द्वारा सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर / संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र शैक्षणिक प्रपत्र अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों महाविद्यालय रैगिंग प्रतिबंधित एव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र-छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

वैधानिक नियन्त्रण- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु जारी साधारण नियम

अर्हता निर्धारण के नियम
(शैक्षणिक सत्र 2025-2026 से प्रभावी)

अध्याय-2 अर्हता / योग्यता सूची निर्धारण के नियम -

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश सीटों की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) (10+2) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे।

उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड / मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2)विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40) प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय (eg स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2-1 (क) के अनुसार तथा अवरोध वर्ष के लिए प्राप्तांकों में से 05 प्रतिशत अंक प्रतिवर्ष कम कर योग्यता सूची (Merit Index) में आने पर एवं संबंधित परिसर / महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 शिक्षणेत्तर कार्य-कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों / निदेशकों /संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए

प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन-पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों को अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्थ्सा नितान्त अस्थायी होगी।

2.4 स्नातक कक्षा में उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

3 . महाविद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी नियम एवं निर्देश

1. ऑनलाइन प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करते समय वांछित प्रमाण-पत्र अपलोड/स्व–प्रमाणित छायाप्रत्ति जमा करनी होगी तथा प्रथमवार साक्षात्कार के समय मूल प्रमाणपत्र अवलोकित करवाने होगें।
(क) हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित छाया प्रतियाँ।
(व) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग एवं अन्य आरक्षित वर्ग तथा अन्य लामों हेतु प्रमाण पत्र।
(ग) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र, माइग्रेशन एवं चरित्र प्रमाण-पत्र की मूल प्रति - अनिवार्य
(घ) स्थायी निवास प्रमाणपत्र – अनिवार्य

2. पासपोर्ट साइज के नवीनतम एवं रंगीन फोटो प्रवेश आवेदन-पत्र पर निर्धारित स्थानों पर लगाने होंगे।
3. व्यक्तिगत रूप से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी किती राजपत्रित अधिकारी / सांसद /विधान सभा सदस्य द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप से सलग्न करें।
4. आवेदन-पत्र जमा करने के उपरान्त किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जा सकेगा।
5. जो प्रवेशार्थी गत सत्र में महाविद्यालय का विद्यार्थी रहा हो, उसके लिए प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ केवल विगत परीक्षा की अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि सलग्न करना तथा निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा करना पर्याप्त होगा।

6. जिन प्रवेशार्थियों का प्रवेश प्रवेश समिति के अनुमोदन पर प्राचार्य द्वारा स्वीकृत किया जायेगा, उन्हें निर्धारित तिथि तक बैंक में पूर्ण शुल्क जमा करना होगा। निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा न करने पर प्रतीक्षा सूची से अन्य विद्यार्थी को प्रवेश दिया जायेगा।

7. माननीय उच्च न्यायालय तथा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय में निर्धारित सीटों पर प्रवेश मेरिट के आधार पर देय होगा।

8. प्राचार्य को सत्यता प्रमाणित न होने की दशा में, किसी अभ्यर्थी को प्रवेश न देने तथा किसी भी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा

संकायवार विषयों की सूची

शहीद दुर्गा मल्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डोईवाला देहरादून में विभिन्न संकायों द्वारा वर्ष 2025–26 में निम्न विषय संचालित किये जा रहे है।

(अ) कला संकाय

1. संस्कृत साहित्य
2. हिन्दी साहित्य
3. अंग्रेजी साहित्य
4. मनोविज्ञान
5. राजनीति शास्त्र
6. इतिहास
7. अर्थशास्त्र
8. भूगोल
9. चित्रकला
10. गृहविज्ञान
11. समाजशास्त्र
12. शारीरिक शिक्षा
13. सैन्य विज्ञान

(ब) वाणिज्य संकाय

1. वाणिज्य

(स) विज्ञान संकाय

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. गणित
4. जन्तु विज्ञान
5. वनस्पति विज्ञान

कला संकाय

(Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specifie Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर / महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा संचालित जी०ई०-सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव)) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप विश्वविद्यालय की व्यवस्था के दृष्टिगत संचालित कला संकाय के विषयों को 06 समूहों A से F में विभाजित करते हुए इनके चयन संबंधी निर्देश निम्नवत प्रस्तुत किए जा रहे हैं::

कला संकाय

Bachelor of Arts (B.A)

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	चित्रकला (Drawing &Painting)	भूगोल (Geography)	समाजशास्त्र (Sociology)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति शास्त्र (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)			
	गृहविज्ञान (Home Science)	सैन्य विज्ञान (Military Science)			
	शारीरिक शिक्षा (Physical Education)				
	मनोविज्ञान(Psychology)				

प्रत्येक विद्यार्थी कला संकाय के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर में 03 डी०एस०सी०-विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों का चयन करेगा।

`विद्यार्थी को प्रथम सेमेस्टर में चयनित डी०एस०सी०-विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषयों को परिवर्तित करने की अनुमति नहीं होगी।

विद्यार्थी दिए गए एक समूह से केवल 01 का डी०एस०सी०-विषय विशिष्ट मूल (DSC-Discipline Specific Core) विषय के रूप में चयन कर सकता है।

अतः विद्यार्थी 02 ये अधिक भाषा अथवा साहित्य विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा व 02 से अधिक प्रयोगात्मक विषयों का चयन एक साथ नहीं करेगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित जी०ई०-सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव)) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

नोट:(1) बी०ए० प्रथम सेमेस्टर में वे ही अभ्यर्थी गणित एवं सांख्यिकी विषय का चयन कर सकते हैं जिन्होंने इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा गणित से उत्तीर्ण की हो।

विज्ञान संकाय

(Bachelor of Science (B.Sc.) हेतु

प्रवेशार्थी को तीन मुख्य विषयों (Three Discipline Specific Core (DSC)) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक-पृथक समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग-अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा संचालित जी०ई०-सामान्य ऐच्छिक (जेनेरिक इलेक्टिव)) पाठ्यक्रमों के एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

विज्ञान संकाय

Bachelor of Science (B.Sc)

(Mathematics Group)		
Group A	**Group B**	**Group C**
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chemistry)
(Bio Group)		
Group A	**Group B**	**Group C**
वनस्पति विज्ञान (Botony)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chemistry)

वाणिज्य संकाय

(बैचलर ऑफ़ कॉमर्स (बी.कॉम) हेतु

प्रवेशार्थी तीन मुख्य विषयों (थ्री डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर (डीएससी)) का चयन निम्नानुसार करेगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर / महाविद्यालय / संस्थानों द्वारा संचालित जी०ई० सामान्य ऐविछक (जेनेरिक इलेक्टिव) पाठ्यक्रमों में से एक पाठ्यक्रम का चयन करना होगा।

Bachelor of Commerce (B.Com)

(बैचलर ऑफ़ कॉमर्स (बी.कॉम) हेतु

DSC 1	DSC 2	DSC 3
वित्तीय लेखांकन (Financial Accounting)	व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्ध (Business Organisation & Management)	व्यष्टि अर्थशास्त्र (Micro Economics)

5. कोर एवं ऐच्छिक विषय (DSC/DSE/GE)

.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 डी० एस० सी० पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

2 डीएससी/डीएसई/GE किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।

3 बहुविषयकता (मल्टीडिसीप्लिनरी) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में संचालित विषय के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।

4 ए० ई० सी० क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स) विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का होगा।

5. एस० ई० सी०-कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (स्किल एनहांसमेंट कोर्स) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पूल/ रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन

पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान अपनी आंतरिक शैक्षणित नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

6. वी० ए० सी०-मूल्य योजन पाठ्यक्रम (वैल्यू एडेड कोर्स) स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04) सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (एनवायरनमेंट) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

7 आई० ए० पी० सी० (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट / अप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी आउटरीच) / फील्डवर्क पाठ्यक्रम: इन्टर्नशिप / प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप / कम्यूनिटी आउटरीच / फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का आईएपीसी/फील्डवर्क से संबधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (डीएससी) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।

अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (डीएससी) में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

9. माइनर प्रोजेक्ट: स्नातक स्तर पर द्वतीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस०ई०सी० (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।

10. **Data Science कला वर्ग के विद्यार्थीयों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस०ई०सी० (SEC) के अन्तर्गत Data Science से सम्बन्धित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।**

नोटः– **AEC,SEC,VAC के अन्तर्गत विषयों के चयन हेतु श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विवरणिका/Prospectus 2025-26 से सहायता ले। यह विवरणिका/Prospectus महाविद्यालय की वैबसाइट पर उपलब्ध है।**

6 स्नातक प्रवेश (B.A., B.Sc., B.Com)हेतु विषयों की सूची

महाविद्यालय के पंजीकरण महाविद्यालय एवं कोर्स सेलेक्शन प्रारम्भ है जिसकी अंतिम तिथि 30 जून 2025 है।

छात्रों को निम्नलिखित विषयों का चयन करना अनिवार्य है :

- **डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स (DSC)** - (प्रत्येक – 04 क्रेडिट का) - छात्र को तीन भिन्न विषय समूहों में से प्रत्येक से एक-एक DSC का चयन करना होगा, अर्थात कुल तीन विभिन्न DSC चुने जाएंगे।
- **जेनेरिक इलेक्टिव (GE)** - (04 क्रेडिट) - यह विषय उन तीन चयनित DSC विषयों से भिन्न डिसिप्लिन से चुना जाना अनिवार्य है।
- **स्किल एन्हांसमेंट कोर्स (SEC)** - (04 क्रेडिट) - छात्र को अपने चयनित तीन DSC में से किसी एक से संबंधित एक स्किल एनहांसमेंट कोर्स का चयन करना होगा।
- **एबिलिटी एन्हांसमेंट कोर्स (AEC)** - (02 क्रेडिट)- छात्र को उपलब्ध विकल्पों में से एक भाषा का चयन करना होगा।
- **वैल्यू एडेड कोर्स (VAC)** -(02 क्रेडिट)-छात्र को उपलब्ध विकल्पों में से एक वैल्यू एडेड कोर्स (VAC) का चयन करना होगा।

नोटः– **AEC,SEC,VAC** के अन्तर्गत विषयों के चयन हेतु श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विवरणिका / **Prospectus 2025-26** से सहायता ले। यह विवरणिका / **Prospectus** महाविद्यालय की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

7 महाविद्यालय में प्रवेशित छात्र छात्राओं हेतु निम्नलिखित शिक्षणेत्तर क्रिया–कलाप एवं प्रकोष्ठ उपलब्ध हैं– छात्र अपनी अभिरूचि के अनुसार प्रतिभाग कर सकते हैंः–

(i) शारीरिक शिक्षा
(ii) राष्ट्रीय सेवा योजना
(iii) रोवर्स रेंजर्स
(iv) एन.सी.सी
(v) विभागीय परिषद्
(vi) सांस्कृतिक परिषद
(vii) रेड क्रास
(vii) **छात्रसंघः**– महाविद्यालय छात्रसंघ निर्वाचन लिंगदोह समिति के निर्देशानुसार शासन तथा विश्वविद्यालय से प्राप्त निर्देशानुसार सम्पन्न कराये जायेंगे।

8. छात्रों की सहायता हेतु निम्न प्रकोष्ठ कार्य करते हैंः
1. महाविद्यालय कैरियर काउंसिलिंग
2. एडुसेट
3. SC/ST सेल
4. महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ
5. आपदा प्रबन्धन कमेटी
6. धूम्रपान निषेध प्रकोष्ठ
7. पूर्व छात्र संगठन
8. अभिभावक शिक्षक संगठन (PTA)
9. अनुसूचित जाति उपयोजना प्रकोष्ठ
10. महाविद्यालय पत्रिका प्रकोष्ठ
11. एण्टी रैगिंग सैल
12. निर्धन छात्र सहायता
13. मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति प्रकोष्ठ

उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त जानकारियॉ सम्बन्धित संयोजक द्वारा सूचना पट्ट पर लगायी जायेंगी।

9 .परिचय पत्र

महाविद्यालय में संस्था के प्रमाणित छात्र/छात्रा होने के लिये प्रत्येक छात्र–छात्रा को अपने पास परिचय–पत्र रखना अति आवश्यक होगा।

यदि अनुशासन मण्डल का कोई सदस्य परिचय–पत्र दिखाने को कहता है और उस समय विद्यार्थी ने परिचय–पत्र नहीं दिखाया तो ऐसी स्थिति में उसे बाहरी व्यक्ति समझा जायेगा। अतः परिचय पत्र को विद्यार्थी सदैव महाविद्यालय में अपने पास रखें।

परिचय–पत्र खो जाने पर उसकी सूचना विद्यार्थी मुख्य शास्ता को दें तथा उनकी संस्तुति के आधार पर विद्यार्थी को शुल्क रसीद दिखाकर रु. 50/– जमा करने पर दूसरी प्रति निर्गत की जायेगी। अतः विद्यार्थी को शुल्क रसीद सुरक्षित रखनी चाहिए।

10. छात्रवृत्ति

विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ जो छात्र/छात्राओं को scholarship.gov.in उपलब्ध कराई जाती है–

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए website: scholarship.gov.in/ पर आवेदन कर सकतें तथा अर्हता के अनुसार अन्य छात्रवृति हेतु www.schloarship.gov.in पर सूचना अनुसार आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त छात्रवृत्तियाँ जाति प्रमाण–पत्र (तहसीलदार के प्रमाण–पत्र) तथा सक्षम अधिकारी के द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र के आधार पर ही निर्गत की जायेंगी।

नोट– भारत सरकार के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2015–16 से समस्त प्रकार की केन्द्र पोषित छात्रवृत्तियों का भुगतान भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित छात्र/छात्राओं के बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। अतः समस्त अर्ह छात्र–छात्राओं को अपने खाते सी.बी.एस. बैंकों में खोलने होंगे एवं खातों को आधार कार्ड से जोड़ना होगा।

11. महाविद्यालय पुस्तकालय

महाविद्यालय पुस्तकालय कार्य दिवसों पर प्रातः 10.00 बजे 5.00 बजे तक खुला रहता है। छात्र–छात्राओं को सुविधानुसार पुस्तक प्राप्त करने के लिये तिथियाँ निर्धारित की जाती है और उन्हीं दिनों में पुस्तकें वर्ष भर निर्गत की जाती हैं।

1. पुस्तकें प्राप्त करने हेतु छात्र/छात्राओं को परिचय–पत्र दिखाने पर पुस्तकें एक निर्धारित अवधि हेतु जारी की जाती हैं।

2. पुस्तकों को सुरक्षित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी पुस्तक लेने वाले की होती है। पुस्तक फटने, गन्दी होने अथवा नष्ट होने पर नई पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकालय से पुस्तक लेते समय पुस्तक की दशा की भली–भाँति जाँच कर लेनी चाहिए।

   पुस्तकों पर नाम व अन्य विवरण लिखना सर्वथा वर्जित है। यदि पुस्तकालय से पुस्तक खराब हालत में मिलती है तो इस आशय का प्रमाण–पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष से पुस्तक दिखाकर लेना चाहिए।

3. सभी पुस्तकों को विश्वविद्यालय की परीक्षा से पूर्व अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त करते समय लौटाना अनिवार्य है।

4. महाविद्यालय में e–ग्रन्थालय/e-library की सुविधा उपलब्ध है।

11 अनुशासन एवं अनुशासन मण्डल

शास्ता मण्डल महाविद्यालय में अनुशासित व स्वच्छ शैक्षिक वातावरण बनाए रखने का उत्तरदायी है। शास्ता मण्डल संयोजक मुख्य शास्ता(Chief Proctor)होता है। जिसे सहयोग करने हेतु महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक शास्ता मण्डल के पदेन सदस्य होते हैं। शास्ता मण्डल द्वारा समय–समय पर बनाए गये नियमों का अनुपालन करना समस्त छात्र/छात्राओं के लिये अनिवार्य है। अनुचित आचरण करने/नियमों का उल्लंघन करने पर शास्ता मण्डल सम्बन्धित विद्यार्थी को दण्डित कर सकता है। महाविद्यालय परिसर में विद्यार्थी किसी भी दशा में कानून अपने हाथ में न लें और बल प्रयोग न करें। यदि कोई शिकायत हो तो शास्ता मण्डल

को लिखित सूचना दें ताकि मामले की छानबीन कर आवश्यक कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके। महाविद्यालय परिसर की निगरानी सी.सी.टी.वी. कैमरों द्वारा होती है।

12. महाविद्यालय में नियमित पठन–पाठन के अलावा दूरस्थ शिक्षा के विकल्प उपलब्ध है। जिसके लिए विद्यार्थी निम्न संस्थानों के अन्तर्गत भी संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों में भी प्रवेश ले सकते है–

(क) IGNOU (Indira Gandhi National Open University)

(ख) UOU (Uttarakhand Open University)

13. गणवेश– महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राऐं को महाविद्यालय गणवेश (COLLEGE UNIFORM) में आना अनिवार्य है।

छात्राऐं– नेबी–ब्लू कुर्ता एवं सफेद सलवार

छात्र – सफेद कमीज एवं नेबी–ब्लू पैंट

14. उपस्थिति– महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राओं के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।

15. रैगिंग/रैगिंग से संबंधित गतिविधियां एव दण्ड के प्रावधान

महाविद्यालय ने अपने परिसर में रैगिंग की प्रभावशाली रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश मार्च, 2009 तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या –310/04/एस0आई0ए0, दिनांक 26 फरवरी 2009 तथा 17 मार्च 2009 के दृष्टिगत छात्र/छात्राओं से शपथपत्र जमा किये जायेंगे।

1. **<u>रैगिंग का अभिप्राय</u>** : उक्त आदेशों के अनुसार रैगिंग का अभिप्राय निम्नवत् है।

Any disorderly conduct whether by words spoken or written or by an act which has the effect teasing, treating or handling with rudeness any other student, including in rawdy or undisciplined activities which causes or is likely to cause embarrassment, hardship or psychological harm or to raise fear of apprehension thereof in a fresher or a junior student or asking the students to do any act or perform something which such students will not in the ordinbary course do or perform and which has the effect of causing or generating a sense of shame or so as the adversely affect the physique or psyche of a fresher or an junior student. Any of the sense of shame or so as the adversely affect the physique or psyche of a fresher or junior student. Any of the above acts committeed by any student of the same or junior or senior class shall be deemed to be ragging./

2. रैगिंग से सम्बन्धित गतिविधियॉ

उक्त आदेशों/निर्देशों के क्रम में निम्नलिखित गतिविधियों को रैगिंग के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए षड़यंत्र।

- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग के माध्यम से शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्रतिबंधित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।
- अपराधिक बल का प्रयोग करना।
- आक्रमण, यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।
- जबरन वूसली।
- अपराधिक अतिक्रमण।
- संपति के विरूद्व अपराध।
- अपराधिक रूप में धमकाना।
- रैगिंग से उत्पीड़न के उपरोक्त में से किसी एक अथवा सभी कत्यों को करने का प्रयास।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित सभी अपराध।

3. रैंगिंग के अन्तर्गत दण्ड के प्रावधान

संस्था की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गम्भीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये विद्यार्थियों को दिये जाने वाले दण्ड निम्न में से कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- कक्षा से निलंबन।
- छात्रवृति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव संस्था का प्रतिनिधित्व करने हेतु
  निरस्तीकरण।
- संस्थान से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरांत अन्य किसी संस्थान में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रू0 25 हजार तक का जुर्माना ।
- जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाए तब सम्भावित रैंगिंगकर्ताओं पर सामुहिक दायित्व निर्धारित करने हेतु संस्थान सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगा।

Note: Studets have to visit the website of Anti Ragging for taking pledge not to involve in ragging activitiy. For that visit the website www.antiragging.in for taking the pledge and submit the hardcopy of the undertaking at the time of admission in the college

नोट: छात्रों को रैगिंग की गतिविधियों में शामिल न होने की शपथ लेने के लिए एंटी रैगिंग की वेबसाइट पर जाना होगा। इसके लिए www.antiragging.in वेबसाइट पर जाकर शपथ लें और कॉलेज में दाखिले के समय शपथ की हार्डकॉपी जमा करें।

14 Prohibited Activities in the College

मुख्य निषिद्धः कार्यकलाप–

1. महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के प्रति वचन एवं कर्म द्वारा निरादर प्रदर्शित करना।
2. महाविद्यालय में आए किसी सम्मानित अतिथि के प्रति अभद्रता एवं निरादर प्रदर्शित करना।
3. कक्षाओं में शिक्षण कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करना।
4. वचन या कर्म द्वारा हिंसा या बल का प्रयोग करना अथवा धमकी देना।
5. ऐसा कोई भी कार्य जिससे शान्ति व्यवस्था व अनुशासन को धक्का लगे या हानि पहुँचे और महाविद्यालय की छवि धूमिल हो।
6. रैगिंग करना या उसके लिये प्रेरित करना (उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग एक जघन्य एवं दण्डनीय अपराध घोषित किया जा चुका है।)
7. परिसर में किसी राजनीति या साम्प्रदायिक विचारधारा का प्रचार–प्रसार या प्रदर्शन करना।
8. जाली हस्ताक्षर, झूठा प्रमाण–पत्र या झूठा बयान प्रस्तुत करना।
9. शास्ता मण्डल के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करना/मानने से इन्कार कर देना।
10. महाविद्यालय की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना दण्डनीय अपराध है, जो भी विद्यार्थी महाविद्यालय की सम्पति को क्षति पहुँचाता पाया जायेगा उस पर महाविद्यालय द्वारा अर्थ–दण्ड लगाया जाएगा।

निषेधः–

1. महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान अथवा मादक पदार्थों का सेवन करना।
2. महाविद्यालय भवन के कक्षों, दीवारों, दरवाजों पर लिखना, थूकना अथवा गन्दा करना और उन पर विज्ञापन लगाना या हस्ताक्षर करना।
3. महाविद्यालय के भवन, बगीचे, फुलवारी अथवा सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने का प्रयास करना।
4. महाविद्यालय परिसर में लड़ाई–झगड़ा एवं मारपीट करना, अनायास शोर मचाना, सूचना पट्ट से नोटिस फाड़ना उसे बिगाड़ने का प्रयास करना।
5. कक्षाओं में तम्बाकू , धूम्रपान मोबाइल फोन आदि का प्रयोग करना।

6. महाविद्यालय के अधिकारी/शास्ता मण्डल/प्राध्यापक द्वारा विद्यार्थी का परिचय–पत्र माँगने पर इंकार करना।

7. जो भी विद्यार्थी उक्त निषेधाज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे निलम्बित, अर्थदण्डित एवं निष्कासित किया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है।

8. महाविद्यालय के मुख्य गेट से राष्ट्रीय राजमार्ग तक सड़क पर वाहन खड़ा करना वर्जित है।

15 आचार संहिता (Code of Conduct)

अनुशासन सम्बन्धी विशेष नियमः–

1. प्रत्येक छात्र के पास परिचय–पत्र का होना आवश्यक है। जिसे परिसर में कभी भी माँगा जा सकता है। परिचय–पत्र मुख्य शास्ता से प्राप्त कर लें।
2. जिन छात्रों की गतिविधियाँ शास्ता मण्डल/महाविद्यालय प्रशासन की राय में अवांछनीय है। उन्हें प्रवेश लेने से वंचित किया जा सकता है/निष्कासित किया जा सकता है/उनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. महाविद्यालय परिसर में हड़ताल करने अथवा किसी भी हड़ताल को समर्थन देने वाले विद्यार्थी को अनुशासन भंग करने का दोषी माना जायेगा। ऐसा विद्यार्थी नियमानुसार महाविद्यालय से स्वतः एवं तथ्यतः निष्कासित हो जायेगा।
4. दुराचरण एवं उद्दण्डता के दोषी विद्यार्थी भी नियमानुसार दण्ड के भागी होंगे।

16. स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

नोट : इस विवरणिका के नियमों में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन, संशोधन का पूरा अधिकार प्राचार्य को होगा। समय–समय पर नये शासनादेशों के प्राप्त होने पर भी तदनुसार संशोधन किये जायेंगे, एवं सम्बन्धित विश्वविद्यालय के प्रवेश/परीक्षा नियम/निर्देश पूर्णतः महाविद्यालय में लागू रहेंगे।

17 पहचान की स्थापना एवं चरित्र का प्रमाणीकरण।

1. महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त प्रत्येक छात्र/छात्रा को शास्ता कार्यालय द्वारा एक पहचान पत्र जारी किया जायेगा। किसी छात्र/छात्रा को जारी पहचान पत्र को ही महाविद्यालय का छात्र/छात्रा होने का एकमात्र प्रमाण माना जायेगा। शास्त्र मण्डल/एन्टी रैंगिंग समिति के किसी सदस्य के मांगने पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपना पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मांगे जाने पर पहचान पत्र प्रस्तुत करने में किसी छात्र/छात्रा के असमर्थ रहने की स्थिति में उसे अनाधिकृत प्रवेशकर्ता माना जायेगा एवं उसके विरूद्व महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के नियमों के अधीन कार्रवाई की जायेगी । पहचान पत्र खो जाने की सूचना शास्ता कार्यालय को देना होगी तथा शास्ता कार्यालय से इस आशय का आवेदन, प्रवेश शुल्क की रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए तथा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रतिलिपि पहचान–पत्र शास्ता कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

2. मांग करने पर छात्र/छात्राओं के चरित्र प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा निर्गत किये जाते हैं। प्रायः नौकरी के लिए आवेदन करने समय छात्र/छात्राओं से समुचित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है । नियंताद्वारा अधिकृत रूप से जारी चरित्र प्रमाण–पत्र को सामान्यतः छात्र/छात्रा को सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमाण माना जाता है। लिखित आवेदन करने एवं निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरांत छात्रों को आवश्यकतानुसार चरित्र प्रमाणपत्र जारी किया जा सकता है। परन्तु जिन छात्रों को ब्लैक लिस्ट किया गया हो अथवा जिन्हें आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो अथवा रैगिंग में लिप्त पाया गया हो उन्हें चरित्र प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्राविधान।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदोपरांत जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय स्तर पर महिलाओं के विरूद्व यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है यह प्रकोष्ठ जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है इसमें आगे बढते हुए एक विशेष पहल के रूप में छात्राओं के आत्म विश्वास संवर्द्वन हेतु प्रकोष्ठ द्वारा सैन्य विधाओं एवं योग की कक्षाऐं आयोजित की जायेंगी। यह प्रकोष्ठ महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित करेगा। यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय द्वारा छात्राओं को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं का पर्यवेक्षण भी करता है। महाविद्यालय में महिला उत्पीड़न निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

.....**********.....

प्राध्यापकों की सूची

List of Faculty of SDM PG College, Doiwala, Dehradun

अर्थशास्त्र विभाग			**अंग्रेजी विभाग**	
1.	डॉ0 राकेश कुमार भट्ट		**1**	डॉ0 राकेश चन्द्र जोशी
				डॉ0 पल्लवी मिश्रा
2..	डॉ0 शिव कुमार लाल		**राजनीति विज्ञान विभाग**	
3.	डॉ0 पूनम धस्माना (सम्बद्ध)		**1**	डॉ0 राखी पंचोला
हिन्दी विभाग			**2**	डॉ0 अंजली वर्मा
1	डॉ0 संजीब सिंह नेगी		**समाजशास्त्र विज्ञान**	
2	श्रीमती पार्वती		**1**	डॉ0 अफरोज इकबाल
सैन्य विभाग			**2**	डॉ0 अनिल भट्ट
1	डॉ0 नर्वदेश्वर शुक्ल		**3**	डॉ0 विक्रम सिंह पंवार
2				
			5	
भूगोल विभाग			**संस्कृत विभाग**	
1	डॉ सूरत सिंह बलूडी		**1**	डॉ0 इन्दिरा जुगरान
2	डॉ0 कंचन सिंह (सम्बद्ध)		**2**	डॉ0 रेखा नौटियाल
3	डॉ0 भगवती प्रसाद पंत		**वाणिज्य विभाग**	
4			1.	डॉ0 सतीश चन्द्र पंत
चित्रकला विभाग	1. डॉ. भावना जोशी		2.	श्री अनुराग भण्डारी
				डॉ0 आशा रौंगाली(सम्बद्ध)
इतिहास विभाग			**भौतिक विज्ञान**	
1	डॉ0 पंकज पाण्डे		1 डॉ0 नवीन कुमार नैथानी	
2	श्री प्रमोद पन्त		2 डॉ0 कुंवर सिंह	
3	डॉ0 कामना लोहनी		**वनस्पति विज्ञान**	
			1.डॉ0 अनिल कुमार	
मनोविज्ञान विभाग			**जन्तु विज्ञान**	
1	डॉ0 वल्लरी कुकरेती		**1**	डॉ0संगीता रावत
2	डॉ0 वन्दना गौड		2 डॉ0 त्रिभुवन चन्द्र	
3	डॉ0 पूनम पांडे			
गृहविज्ञान विभाग			**गणित विभाग**	
1	डॉ0 प्रभा बिष्ट		**1**	डॉ0 प्रीतपाल सिंह
2	श्रीमती पुष्पा कुमारी		**2**	डॉ0 सुजाता
3	डॉ0 शशिबाला उनियाल		**रसायन विज्ञान**	
शारिरीक शिक्षा			**1**	डॉ0 किरन जोशी
1	श्रीमती पूनम रावत		**2**	डॉ0 पूरन सिंह खाती

कर्मचारियों की सूची

क्र0स0	कर्मचारी का नाम
1	श्री विनोद कुमार
2.	कु0 स्नेहलता
3	श्री मनोज कुमार भूषण
4	श्री रामलाल आर्य
5	श्रीमती प्राची बहुगुणा
6	श्री जितेन्द्र सिंह नेगी
7	श्री महेश कुमार
8	श्री आतिफ कुरैशी
9	श्री सोमेश्वर प्रसाद
10	श्री नवीन आर्य
11	श्री रामेश्वर प्रसाद
12	श्री मनोज कुमार चमोला
13	सपना दताल
14	श्री बृजमोहन
15	श्री राजेश कुमार
16	श्री अशोक कुमार
17	श्री राकेश सिंह
18	श्रीमती ममता देवी
19	श्री सुनील कुमार नेगी
20	श्रीमती शोभा देवी
21	श्री कृष्णा नन्द गोस्वामी
22	श्रीमती सविता
23	श्री मुकेश राज
24	श्रीमती सीमा गुसांई